MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2001

G.S.R. 204 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-Section (I) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the 1st amendment of Regulation 9 of Paradip Port Trust Employees' (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefits After Retirement) Regulations, 2000 published in the Gazette of India vide G.S.R. 72 (E) as per Schedule annexed to the Notification dated 27-1-2000.

The said Regulations shall come into force with effect from 27-1-2000.

SCHEDULE

PARADIP PORT TRUST EMPLOYEES' (CONTRIBUTORY OUTDOOR AND INDOOR MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) AMENDMENT REGULATIONS, 2000

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Port of Paradip hereby makes the following amendment to the Paradip Port Trusts Employees' (Contributory Outdoor and Indoor Medical benefits after retirement) Regulations, 2000.

1. (i) These regulations may be called the 'Paradip Port Trust Employees' (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefit after Retirement) Amendment Regulations, 2000.

2. The Regulation 9 of Paradip Port Trust Employees' (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefit After Retirement) Regulations, 2000 shall be substituted with the following provision :

9—Interpretation :

'When a doubt arises as to the interpretation of these Regulations, the matter will be referred to the Chairman, Paradip Port Trust for decision.'

[F. No. PR-12016/35/97-PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

NOTE :—The principal Regulations namely "Paradip Port Trust Employees' (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefits after Retirement) Regulations, 2000" were published vide G.S.R. No. 72(E) in the Gazette of India, dated the 27th January, 2000.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2001/फाल्गुन 30, 1922

No. 135] **NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2001/PHALGUNA 30, 1922**

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2001

सा.का.नि. 204 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा अधिसूचना दि. 27-01-2000 के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, भारत के राजपत्र के सा.का.नि. 72(अ) में प्रकाशित पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2000 का विनियम 9 का प्रथम संशोधन का अनुमोदन करती है।

उक्त विनियम दि. 27-01-2000 को प्रभावी होंगे।

अनुसूची

पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) संशोधन विनियम, 2000

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड इसके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2000 का निम्नलिखित संशोधन करता है।

1. (क) ये विनियम पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) संशोधन विनियम, 2000 कहलाएंगे।

2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2000 के विनियम 9 में निम्नलिखित प्रावधान का स्थान ग्रहण करेगा।

9—व्याख्या

इन विनियमों की व्याख्या में जब कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामले को अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास के निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

[फा. सं. पी. आर.-12016/35/97-पीई-I]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

नोट :—मूल विनियम अर्थात् "पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बहिरंग एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2000" भारत के राजपत्र में दि. 27 जनवरी, 2000, सं. जी. एस.आर. 72 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया है।